

(2) A copy of the Audit Report (Hindi and English versions) on the accounts of the Delhi Financial Corporation for the year 1979-80 under sub-section (7) of section 37 of the State Financial Corporations Act, 1951. [Placed in Library. See No. LT-2757/81.]

(3) A copy each of the Annual Reports (Hindi and English versions) of the State Bank of India and its seven subsidiary banks viz., State Bank of Bikaner and Jaipur, State Bank of Hyderabad, State Bank of Indore, State Bank of Mysore, State Bank of Patiala, State Bank of Saurashtra and State Bank of Travancore for the year ended the 31st December, 1980 along with the Accounts and the Auditor's Report thereon. [Placed in Library. See No. LT- 2758/81.]

(Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : मैंने पूरी आस्था है इस देश की जनता पर कोई किसी को रोक नहीं सकता । ऐसा करने से फायदा क्या है ।

यह जनता बड़ी समर्थ है हिन्दुस्तान की । इसको कोई नहीं दबा सकता ।

12.09 hrs.

ASSENT TO BILLS

SECRETARY: Sir, I lay on the Table following three Bills passed by the Houses of Parliament during the current session and assented to since a report was last made to the House on the 18th August, 1981:

1. The Essential Commodities (Special Provisions) Bill, 1981.

2. The Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities (Amendment) Bill, 1981.

3. The Assam Appropriation Bill, 1981.

(Interruptions)*

MR. SPEAKER: Nothing is going on record, what these gentlemen are saying. Calling Attention. Shri Banatwalla.

12.10 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

RECOVERY OF PRICELESS STOLEN IDOLES AND ANTIQUES

SHRI G. M. BANATWALLA (Ponnani): Sir, I call the attention of the Minister of Education and Social Welfare to the following matter of urgent public importance and request that she may make a statement thereon:—

“The reported recovery of priceless stolen idols and antiques by the police in Delhi and action being taken by the Government with regard thereto”.

12.10 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRIES OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE (SHRIMATI SHEILA KAUL): I beg to inform the House that the Crime Branch of Delhi Police on receipt of secret information from a source regarding the sale/smuggling of stolen idols and antiques in the capital organized a raid and arrested two persons, namely Shri Hari S/o

[Shrimati Sheila Kaul]

Shri Panna Lal and Shri Baldev S/o Shri Radha Krishan, both residents of Subhash Nagar, Delhi, while they were carrying two idols. A case F.I.R. No. 351 dated 28-8-81 under Section 411 I.P.C. was registered at the Rajinder Nagar Police Station, New Delhi. On interrogation the suspects revealed that two more persons, namely Shri Sat Narain S/o. Shri Sugan Singh, resident of Tank Road, Bapa Nagar, Karol Bagh, Delhi and Shri Knsi Nath S/o Shri Ram Kishan, resident of F/2 Lajpat Nagar, New Delhi were also involved in these nefarious activities. The Police found in their possession a number of objects suspected to be antiques and they were also arrested on 29-8-81. One James K. Lama of Lajpat Nagar, who is alleged to be involved in the case is still absconding.

The total number of objects seized by the police is 21. The police is investigating the case with the assistance of the officers of C.B.I. (Antique Cell). Three accused persons are in the police custody under remand.

Two officials of the Archaeological Survey made a preliminary inspection of the objects seized.

The objects seized by the police have not as yet been examined by competent experts to determine whether they are antiquities or not in the terms of Antiquities and Art Treasures Act, 1972. It is only after the objects have been examined by the experts and declared as antiquities the Archaeological Survey of India can enquire whether the owners of these objects have got them registered as per Antiquities and Art Treasures Act, 1972. There is no ban on the possession of antiquities provided that specified categories of antiquities, namely sculptures of all media, painting and illustrated and illuminated manuscripts which have been notified under the Act are registered with the Registering Officers.

It is only after experts have declared these articles as antiquities under the said Act and the alleged suspects are not able to prove their ownership as well as registration that the Police can take further action to prosecute the alleged suspects.

A team of experts proposes to examine these objects on 7-9-81.

SHRI G. M. BANATWALLA: Mr. Deputy-Speaker, Sir, the Government, at the outset, must be complimented for being alert and vigilant and this alertness and vigilance have resulted in this haul of priceless antiques articles. The Crime Branch of Delhi police has also done a good piece of work. I must, therefore congratulate also the Crime Branch of the Delhi Police at least on this particular account though they rather lack in various other spheres.

Theft of idols and priceless antiques and all that, to say the least, is most reprehensible. Very stringent action should be taken in such cases. It has been told in the statement that two officials of the Archaeological Survey of India have made a preliminary inspection of the objects seized. Here I must seek more clarification from the hon. Minister. 21 objects have been seized. Let this House know as to the outcome or the findings of this preliminary survey that has been made by the Archaeological Survey of India—what is the preliminary finding of this survey, what are the nature of the objects that have been recovered, what is the approximate value of all these articles. I hope that this House would be given a proper idea of the seriousness, the nature, as also the importance, of the priceless haul, by giving the results of this preliminary survey.

I must further say that all these were seized and arrests made on the 28th and 29th of August. Government want these objects to be examined by a team of experts. But we are told that the team of experts

would examine these objects on the 7th September 1981. I fail to understand why there is this inordinate delay in the mere examination of the objects and in coming to conclusions as to their exact nature and value.

It is a matter of general observation that in all these cases the main culprits get away and it is some petty paid employee who takes the rap. I hope that the Government and the investigating agency would be very vigilant and every effort would be made. Let the Government assure this House that repeated attempts are being made in this direction and that when rackets are unearthed the main culprits will be brought to book.

A systematic smuggling of rare antiques is taking place and there are reports that it is taking place mainly because of various factors like the fact that the prices of antiques in the international market of London, Zurich and New York are high the Indian collectors and museums are not willing to pay such high prices and the Antiquities Act bans the export of these articles. What is the Government really doing in order to preserve these antiques and to see that this drain does not take place?

The situation is serious, because there are reports that even diplomatic pouches are being used for a systematic smuggling of these rare antiques outside India. The Foreign Mission have their diplomatic pouches, the sealed diplomatic bags used for transport of their mail and confidential documents, and we are told that these pouches are being used for the smuggling of antiques. According to one estimate, which has appeared in the papers, the loss on account of such smuggling of these articles is about Rs. 1 crore in Delhi alone. When such is the dimension of the problem, is the Government aware of it? If so, what steps are being taken in this particular direction to see that such systematic smuggling of rare idols, antiques, priceless antiques, is

checked? Sir, I must also draw the attention of the hon. Minister..

MR. DEPUTY-SPEAKER: I think this is your last question. You have put many questions.

SHRI G. M. BANATWALLA:.. to the situation that is in Kerala. It is rather unfortunate that during these recent times there is a systematic attempt to drain the temples and other places of worship in Kerala of their rare idols, of their rare articles. There is a systematic thing going on to see that the rare antiques go out.

Mr. Deputy-Speaker, Sir, more than 50 ancient temples have been burgled in Kerala in the last two years of the Marxist rule with allied parties. The police could prove only three or four cases so far.

SHRI A. K. BALAN (Ottapalam): Sir, it is utterly wrong. Can you give the details in 1979-80?

MR. DEPUTY-SPEAKER: He does not say that your Government is organising. He only said that your Government is there. He never charged your Government.

SHRI G. M. BANATWALLA: Sir, the theft at century old Mahadevar temple near Kottayam on or about May 24, 1981, was one of the biggest in recent years. The main idol in solid gold was found stolen along with other articles and the loss is estimated at over Rs. 10 crores. Sir, I say that the Kerala Government is not taking effective steps to check all this. Is the Government vigilant? What is the Central Government doing in order to see that its own responsibility with respect to the preservation of rare antiques is being duly fulfilled? We would like to know this particular point from the Government.

Finally, I come to this Antiquities and Art Treasures Act, 1973.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have come to Kerala. You have got to conclude now.

SHRI G. M. BANATWALLA: This Act needs to be made stringent in several respects. Sir, we have such a case that officers of this particular ASI often say that a particular antique is not a rare antique. I would like to know whether in the past at least one year in how many cases action was sought to be taken and experts of ASI gave certificates to the effect that this particular object is not a rare object, certificates for certain considerations which we can understand.

These are also other trends. What action is the Government taking to see that a proper vigilance is kept and the provisions of this Act are also made more and more stringent?

SHRI A. K. BALAN: May I ask a question?

MR. DEPUTY-SPEAKER: No, you are not permitted.

SHRIMATI SHEILA KAUL: The hon. Member has asked about the findings of the preliminary inspection. That has revealed that out of 21 images or figures that they have stolen, 4 are terracota figure and 17 are stone sculptures. If we try to give results in haste, it would not be helpful because to begin with, it would not be in the interest of prosecution to divulge the details of the seized objects at this stage and the process of examination by experts involves close scrutiny and in fact it would take more time. Smuggling of art objects is an international racket, India is a signatory to the International Convention. We are collaborating with investigations and preventive agencies of other countries to see that if we can stop the smuggling that takes place, it should be stopped. We want to help that smuggling should not take place.

The hon. Member has mentioned about Kerala. There are certain items

that come directly under the Archeological Department of the Central Government and the others are with the State Government. I think the hon. Member would try to find out if they belong to the State Government, which I think they do.

The hon. Member wanted to know the steps the Archeological Survey Department is taking. Survey Department has posted officers at important international sea ports, air ports to help the customs authorities in preventing illegal exports. There is also an expert Advisory Committee which has been set up at or near the international exit points to examine the objects and issue certificates in respect of non-antiquities. He wanted to know about the Antiquities and Art Treasures Act. There is a long list of it. If you allow, I can read it.

The Antiquities and Art Treasures Act, 1972, came into force on 5th April, 1976; its principal aim being to regulate the export trade in antiquities and art treasures, to provide for the prevention of smuggling of, and fraudulent dealings in antiquities, to provide for the compulsory acquisition of antiquities and art treasures for preservation in public places and to provide for creation other matters connected therewith or incidental or ancillary thereto.

So, under these antiquities what we call antiquities is:

(i) any coin, sculpture, painting, epigraph or other work of art or craftsmanship;

(ii) any article, object or thing detached from a building or cave,

(iii) any article, object or thing illustrative of science, art, crafts, literature, religion, customs, morals or politics in bygone ages;

(iv) any article, object or thing of historical interest;

These are the things that are to be seen to when they try to examine the things according to this Act.

श्री राजेश कुमार सिंह : (फिरोजा-बाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उसके सन्दर्भ में मैं कुछ कहना चाहूंगा। यह सिल-सिला लम्बे अर्से से चल रहा है। हमारे संग्रहालयों से, हमारे मन्दिरों से तथा अन्य ऐतिहासिक स्थानों से, हमारी जो अमूल्य प्राचीन मूर्तियां एवं कलाकृतियां हैं जो मुलभ नहीं है, अलभ्य हैं, वह आए दिन चोरी होकर देश के बाहर जा रही हैं। ऐसी मूर्तियां एवं कलाकृतियां जो विदेशों में जाती हैं उनकी संख्या प्रतिवर्ष लगभग एक हजार होती है और उनकी कीमत विदेशी बाजारों में करीब सौ करोड़ होती है। लेकिन कीमत से भी बड़ी चीज है हमारी प्राचीन धरो-हर, हमारा गौरव और हमारे बुजुर्गों की देन जिसको इस प्रकार से बेचा जा रहा है। सरकार ने कानून की बात कही है लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि न्यूयार्क और लंदन के बाजारों में जो इन कलाकृतियों के आक्शन होते हैं। उसमें मुगल पीरियड अथवा गुप्त काल की मूर्तियां, कलाकृतियां ले सकते हैं। आज नेपाल, हांगकांग, सिंगापुर के बाजारों में इस देश की धरोहर खुलेआम बिक रही है।

इसके साथ साथ एक दूसरा बहुत बड़ा प्रश्न और भी है जो चोरी पकड़ी गई उस सन्दर्भ में माननीय सदस्य ने अधिकारियों की प्रशंसा भी की और मैं भी उनको बुराई नहीं करना चाहता। यदि कोई अच्छा काम करता है, उसकी प्रशंसा तो करनी चाहिए। लेकिन प्रश्न यह है कि जब चोरी होती है और केस आता है तो पालियामेंट में उसकी चर्चा होजाती है। मैं आपको पिछले 9 जनवरी, 1980 के बारे में कहना चाहता हूं कि मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर का बहुमूल्य अंगरखा तथा

उनकी बेगम की अंगिया, माग्यवर अंगिया का मतलब है-चोली, वे दोनों ही चोरी चले गए। खूबी बाल बर्तन जिसमें बारूद रखा जाता था, और उस पर लाल-लाल खूबी लगी हुई थी, वह भी चोरी हो गया और उसका पता नहीं चला। आपके लाल किले संग्रहालय की बात है, यह कोई केरल की बात नहीं है।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1970 में चंडीगढ़ म्यूजियम से कांगड़ा राजपूत और मुगल शैली की अलग-अलग 102 लघु चित्रों की चोरी हुई है। उसमें आप नौ बरस के बाद 46 चित्रों का पता लगा पाये और बाकी विदेशों की शोभा बन गई। इसी प्रकार 1967 में रायपुर मध्य प्रदेश के म्यूजियम से पांच कांस की मूर्तियां चोरी हो गई और उसकी कीमत आर्कैलाजिकल विभाग ने उस जमाने में 1500 रु० लगाई और पीछे बताया गया कि उसकी कीमत एक लाख 9 हजार रु० है। 1970 में सालारजंग म्यूजियम से 48 चित्र चोरी हो गए, 1968 में नेशनल म्यूजियम से सोने और चांदी की चीजों के अलावा 60 सिक्के चोरी हो गए, जो कि बहुत दुर्लभ थे। फरवरी, 1970 में बम्बई प्रिन्स आफ वेल्स संग्रहालय से 13 भगवान बुद्ध की मूर्तियां चोरी चली गईं। उन प्राचीन मूर्तियों का आज तक पता नहीं चला। सिंधू घाटी से प्राप्त मोहरें व अन्य चीजें भी इसी प्रकार चोरी चली गईं। मैं समझता हूं कि ये सब मूर्तियां विदेशों की शोभा बन गईं। हमारे सामने यह प्रश्न नहीं है कि उनकी कीमत कितनी है, बल्कि प्रश्न यह है कि वे प्राचीन वस्तुएँ देश की धरोहर थीं, जो कि दुर्लभ हैं, मिल नहीं सकती हैं। जब हमारे देश की आने वाली पीढ़ी के लोग जानना चाहेंगे कि वे मूर्तियां भारत के

[श्री राजेश कुमार सिंह]

किसी मन्दिर या म्यूजियम में नहीं है, तो हमें कहना पड़ेगा कि अमरीका के साहूकारों के घरों को शोभा दे रही है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि संग्रहालयों के जो कानून बने हुए हैं, एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रंजरार एक्ट, 1972 जिसके अनुसार यदि कोई वस्तु सौ बरस से अधिक है, तो उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा, इस एक्ट में बहुत सी खामियां हैं और उनकी तरफ माननीय सदस्य ने भी ध्यान आकर्षित किया है, उन खामियों का आपको दूर करना चाहिए। आपके अधिकारों द्वारा यदि कोई मूर्ति सौ बरस से अधिक पुरानी है, उसको कह दिया गया कि यह सौ बरस से कम है, तो उसको सौ बरस से कम मान लिया जाता है। अभी अखबार में आपने फरमाया है कि उनके बारे में जानकारी हासिल नहीं हो पाई कि कितनी प्राचीन मूर्तियां हैं और कानून की परिधि में आती है या नहीं आती है। नवभारत टाइम्स में आपने कहा है कि 11वीं शताब्दी से 18 वीं शताब्दी तक की ये मूर्तियां हो सकती हैं और उनको सर्वे अधिकारियों ने देख लिया है लेकिन अभी उनकी फाइंडिंग्स के बारे में कोई जवाब नहीं आया है। सरकार कानून तो बनाती है, लेकिन उन कानूनों में बहुत बड़ी खामियां रह जाती हैं।

श्रीमती शीला कौल : मैंने उसके बारे में जवाब दे दिया है।

श्री राजेश कुमार सिंह : मेरे कहने का मतलब यह है कि उसके बारे में जो कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए थी, वह क्यों नहीं की गई? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इसके कानूनों में खामियां हैं, उन को दूर करके सख्ती से अमल में लाना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या प्राचीन मूर्तियों, कला-कृतियों की गणना कराई जाएगी? हो सकता है कि यह काम बहुत मुश्किल हो, लेकिन पूरे देश के पैमाने पर गणना कराए बिना, यह चोरी पकड़ी नहीं जा सकती है। जो राजे-रजवाड़ों की पुरानी चीजें हैं, उनके बारे में कानून बहुत गड़बड़ है, व्यक्तिगत संग्रहालय के बारे में कानून बहुत गड़बड़ है, इन खामियों को आपको दूर करना चाहिए। इस कानून को अमल में लाने के लिए सारी मूर्तियों की और कलाकृतियों की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, तभी ये चोरियां पकड़ी जा सकती हैं।

मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, जैसा कि इन्होंने अपने वयान में कहा है:-

“सर्वेक्षण विभाग पूछताछ तब करेगा जब यह बात साबित हो जायेगी”। इस का क्या मतलब है, क्या पुलिसवाले इस बात की जानकारी देंगे कि ये मूर्तियां प्राचीन हैं, इस की जांच कौन करेगा पुलिस विभाग करेगा या परातत्व विभागकरेगा पुलिस वालों के बारों में लोगों की राय अच्छी नहीं है।

दूसरी बात—आप ने फरमाया कि जैसे ही सामान पकड़ा गया, आप ने किसी की सूचना पर या सन्देह में कुछ लोगों को पकड़ा—यह अच्छा काम किया, लेकिन कितने दिनों के अन्दर यह बात साफ होगी, इस के बारे में आप के कानून में कोई धारा है या नहीं? जिन को आप ने सन्देह में पकड़ा है, उन के बारे में सन्देह कितने समय में दूर होगा, शायद इस के बारे में आप के कानून में कोई साफ प्रावधान नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने कानून में अवश्य परिवर्तन लायें। संग्रहालयों तथा मन्दिरों में जो मूर्तियां हैं उन की सुरक्षा की व्यवस्था करें।

यह प्रश्न सारे देश के लिये महत्वपूर्ण है, देश की इस धरोहर के प्रति एक जन-जागृति पैदा करनी चाहिये। यह विषय आप के सोशल-वेलफेयर से सम्बन्ध रखता है, आप बहुत सी योजनायें चलाते हैं, इस के लिये भी कोई कार्यक्रम बनाइये जिस के द्वारा जनता को शिक्षित किया जा सके कि ये हमारी प्राचीन धरोहर हैं, बहुत कीमती हैं, इन के प्रति हमारी अटूट श्रद्धा होनी चाहिये।

श्रीमती शीला कौल : माननीय सदस्य को यह जानकर इत्मिनान होगा कि हम भी इन सब बातों के बारे में सोच रहे हैं लेकिन हम अभी नहीं चाहते हैं कि एक दम में कोई बात कहें, क्योंकि कोई दफा ऐसा होता है कि मूर्तियां नकली होती हैं। ऐन बहुत से उदाहरण हैं, हमारे आपट्समैन इतने काबिल हैं कि बहुत अच्छी कापी उतार लेते हैं—पुरानी चीजों की....

श्री राजेश कुमार सिंह : मैं यह जानना चाहता था कि उन का रजिस्ट्रेशन कराया गया था या नहीं :

श्रीमती शीला कौल : आप मुझे मौका दें तो मैं सब बतला दूंगी, लेकिन इस तरह में तो गड़बड़ हो जायगी। बतलाने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए।

यह जानने के लिए कि मूर्तियां असली हैं या फेक हैं, इस लिए एक एक्सपर्ट कमेटी होती है, जिस में 32 सदस्य हैं जो सारे हिन्दुस्तान में हैं। जो इस बात को देखते हैं कि कहीं धोखा न हो जाय। हमारी एक्सपर्ट कमेटी बहुत अच्छी है, फिर भी धोखा हो जाता है।

आप ने रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछा—
2,75,000 आर्टिस्ट रजिस्टर्ड हैं।

म्यूजियम्स की इसलिए रजिस्टर्ड नहीं हैं, क्योंकि वे पहले से ही कंटेलाग्ड हैं। कंटेलाग्ड होने की वजह से उन को इस में इन्क्लूड नहीं किया गया है।

आप ने जिक्र किया कि म्यूजियम्स में चोरियां हुई हैं। यह ठीक है लेकिन यह सब उस वक्त की बात है जब यह एक्ट नहीं था। आप ने मुगल सम्राट के अंगरखे का जिक्र किया कि वह चोरी चला गया था, लेकिन आप को यह जानकारी खुशी होगी कि वह सब चीजें मिल गई हैं।

मेरे ख्याल से मैंने आप की सब बातों का जवाब दे दिया है।

SHRI BALKRISHNA RAM-CHANDRA WASNIK (Buldhana) :
The question relates to the theft of the priceless idols and antiques and their recovery by the Police. It would have been better if the Minister of Home Affairs would have been here to enlighten the Members in this regard.

This is not the first time that articles of priceless value are stolen. It is a common affair and hundreds of such idols and antiques are smuggled out of the country every now and then.

Our country is rich in its heritage and several such idols and antiques are scattered everywhere.

Under the Antiques and Art Treasures Act, 1972, these objects are to be registered. In view of the enormity of the job as they are scattered all over the country in a very large number, does not Government think that their machinery falls short of the requirements and, if so, what the Government proposes to do to cope up with the requirements?

श्रीमती शीला कौल : माननीय सदस्य ने अगर सुना होता, तो उन को मान्य होता

[श्रीमती शीला कौल]

कि हम ने काफी कार्यवाही की है और किस तरह से इस को कण्ट्रोल करने की कोशिश की है। एयर पोर्ट्स और सी-पोर्ट्स के ऊपर हमारा एक सेल है, सेण्ट्रल गवर्नमेंट का एक सेल इस चीज को देखने के लिए है और अगर कहीं ऐसी चीज हुई है, तो उस को रोका है। ये सब चीजें हैं। इनका रजिस्ट्रेशन होता है, इन सब बातों का मैं जिक्र कर चुकी हूँ।

श्री एच० के० एल० भगतपुर्वदिल्ली):
उपाध्यक्ष महोदय, काफी अच्छे सवाल इस विषय पर पूछे गये हैं और काफी अच्छे उत्तर मंत्री जी ने दिये हैं। मैं दो-तीन बातें क्लेरिफिकेशन के लिए जानना आता हूँ।

एक चीज तो यह है कि इन चीजों की चोरियां कुछ प्राइवेट जगहों पर होती हैं, और कुछ हमारे म्यूजियम्स से होती हैं। मैं यह जानना चाहती हूँ कि हमारे जो म्यूजियम हैं, जिन को मारी गवर्नमेंट, चाहे वह सेक्टर की हो या स्टेटम की हो या दूसरी ऐसी आथेरिटीज हैं, की सपोर्ट है और वह उन को मेन्टेन करती है, उस का वहां पर इन्ज़ाम है, तो क्या वर्तमान इन्तज़ाम को मुधारने के बारे में कोई विचार किया गया है? मुझे कुछ बाहर जाने का मौका मिला है और हमारे साथ सोवियत यूनियन ला मिनिस्टर साहब भी गये थे और इस के अलावा कुछ और कण्ट्रीज में भी हम ने देखा है कि जो म्यूजियम हैं या दूसरी ऐसी चीजें हैं, उन का जो मेन्टेनेन्स है, वह बहुत अच्छा है, उन का इन्तज़ाम बहुत अच्छा है। उस की सुरक्षा, उसके गाइड वगैरह बहुत अच्छे हैं। जैसे हमारा हैरीटेज बहुत पुराना है, हमारी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, उसी तरह से उन का जो हैरीटेज है, उन की जो पुरानी हिस्ट्री है, वह बहुत अच्छी है और बाहर के लोग जो वहां जाते हैं, उन के पास वह जाती है

और फिर बाहर देशों में वह पहुंचती है। कम से कम मैं और हमारे कुछ साथी तो वहां पर इस चीज को देख कर बहुत इम्प्रेस हुए। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि हमारा जो हैरीटेज है, उस को मेन्टेन करने के लिए, म्यूजियम्स में बँटर सुरक्षा हो और लोगों के सामने अच्छे ढंग से उस को पेश करने के लिए, कोई रुटीन ढंग से नहीं बल्कि एक अच्छे ढंग से पेश करने के लिए सोच-विचार कर कदम उठाएगी?

दूसरी बात मंत्री जी ने यह कहीं कि हमारे पास 32 एक्सपोर्ट्स हैं और वे इन चीजों को देखते हैं। मैं थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन चाहता हूँ कि जो चीजें बाहर जाती हैं, एण्टीक्स तो बाहर जा नहीं सकतीं, उन के लिए नान-एण्टीक का सर्टीफिकेट लेना पड़ता है। क्या वे एक्सपोर्ट्स इस चीज को भी देखते हैं? हमारी इत्तिला यह है कि मैं किसी पर एस्पेरशन नहीं कर रहा हूँ कि छोटे अप्रसर बेईमान होते हैं लेकिन मामला बहुत इम्पार्टेंट है—नान-एण्टीक का सर्टीफिकेट ले कर ये चीज कहर एक्सपोर्ट होती हैं और एक बहुत भारी मार्केट एक्सपोर्ट का बना हुआ है और दुनिया भर में इन चीजों को भेज कर पैसा बनता है वगैरह, वगैरह। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब कोई किसी चीज को पेश करता है यह कह कर कि यह नान-एण्टीक है, तो उस को सर्टीफाई क्या एक्सपट लोग करते हैं, कोई एक पैनल बना हुआ है या सिर्फ एक आदमी इस काम को करता है? इस में अगर कोई कमी है, तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी?

तीसरी बात यह है कि जो कूरियो के डीलर्स होते हैं, जो इसका धंधा करते हैं, कूरियो डीलर्स के थू यह काम होता है। इनके अपने एजेण्ट्स होते हैं जो छोटी-छोटी जगहों से उठा कर ये चीजें लाते हैं और बेचते हैं। हमारे यहां प्रान्स्म यह है कि

हमारे मंदिर जो हैं वे दूर-दूर जगहों पर स्केटर्ड हैं और वहां से अक्सर इन चीजों की चोरी हो जाती है। बांजमोकात बेलनोन जगहों पर भी चोरी होती हैं। तो यह जो काम है यह एक बड़ा मुश्किल काम है लेकिन यह सामान कूरियो डीलर्स के यू बाहर जाता है और उनका नम्बर बढ़ा लिमिटेड है। तो क्या गवर्नमेंट इस पर विचार करेंगी कि ये जो कूरियो डीलर्स हैं इन पर कोई कंट्रोल हो, उन का रजिस्ट्रेशन हो और उनकी चेकिंग हो। इस को करने के लिए क्या सरकार कोई शोध-कार्य करेगी और इस पर कोई विचार करेगी? मिनिस्टर साहिबा ने बताया है कि एयरपोर्ट वगैरह पर हमारी चेकिंग होती है, तो क्या उस को टाइटन करने के लिए कुछ किया जाएगा। मैं समझता हूं कि यह मामला बहुत इम्पोर्टेंट है और इस समय जो स्थिति है, जो एरेंजमेंट है, उस के बारे में मंत्री जी ने बहुत अच्छे जवाब दिये हैं लेकिन क्लेरीफिकेशन के लिए मैंने जो दो-तीन प्वाइण्ट्स उठाए हैं, मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय, उस का उत्तर देंगे।

श्रीमती शीला कौल : मेरा ध्यान इस तरफ दिलया गया है कि चोरियां प्राइवेट जगहों पर भी देशमें हो जाती हैं और म्यूजियम वगैरह में भी हो जाती हैं। जो प्राइवेट जगहों पर चोरियों से माल निकल जाता है उसके लिए तो मैं समझती हूं कि उसकी जिम्मेवारी पुलिस वालों की हो जाती है। अब किसी के यहां चोरी हो गई, कोई चीज चली गई, पुराना या नया जेवर चला गया तो उसको देखने का काम पुलिस वालों का है। लेकिन म्यूजियम से जो चीज चली जाएगी उसमें हमारे देखभाल की ज़रूरत होती है। वह बड़ा भारी खर्च भी है।

म पिछले महीने फॉकफर्ट गई थी वहां के म्यूजियम में भी मैं गई थी।

मैंने वहां देखा कि वहां के जो एग्जीबिट्स थे उनमें अलार्म लगा हुआ था। अगर कोई उसको छू लेता है तो सारे म्यूजियम में आवाज आ जाती है कि किसी ने किसी चीज को छुआ है या कोई चोर आ गया है। इस तरह से मैंने यह सब वहां देखा। आपको याद होगा मोर्न लसा की प्रेस में चंरी हुई थी। इस तरीके से ये मुल्क तो रईस मुल्क हैं जो कि ऐसी बातों का इन्तजाम कर सकते हैं। लेकिन हम चाहें भी तो भी हमारे लिए ऐसा इन्तजाम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमें पता है कि क्या करना चाहिए। हमारी मजबूरी है कि हम नहीं कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास इतना हो जाए कि हम नायाब से नयाब चीजों का इन्तजाम कर सकें और हमें करना भी चाहिए।

SHRI MANI RAM BAGRI rose.

MR. DEPUTY-SPEAKER: No, no. She will reply to Mr. Bhagat. I cannot allow you.... Bagri Sahab, she is replying to Mr. Bhagat. Your name is not here.... No, no. Please sit down. This is not correct, Mr. Bagri. You can meet the Minister in her Chamber and elicit any information you want.... Please respect the rules. You are a very senior Member. I should not teach you the Rules.....

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is very delicate.... very senior Members and experienced Members and I am telling them something about the Rules....

(Interruptions)

श्रीमती शीला कौल : यह बहुत जरूरी है कि हमारा इतिहास और हमारी हेरीटाज, हमारा कल्चर जो है उसको हम एक तरह से संभाल कर रखें जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी को मालूम हो कि हम क्या कर के गए हैं। इसके लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं वह हम कर रहे हैं।

Commission for a
High Court Bench in
Western U.P. (Statt)

[श्रीमति शीला कोल]

यह भी जिक्र किया गया कि जो हमारा एकट है उसमें कुछ वुटियां हैं और उसमें हमें कुछ संशोधन बगरह करने चाहिए। इस के ऊपर भी हम ध्यान देंगे। यह एकट 1976 में लागू हुआ था। हम देखेंगे कि इसमें क्या-क्या कमियां रह गई हैं और जो परिवर्तन करने जरूरी होंगे व हम आप लोगों की राय से करेंगे।

12.48 hrs.

STATEMENT RE. SETTING UP
OF A COMMISSION FOR A HIGH
COURT BENCH IN WESTERN
UTTAR PRADESH.

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): Mr. Speaker, Sir, On 15th April, 1981, I stated in this House that the Government had decided to set up a three-member Commission to consider all aspects arising out of the demand for the constitution of a Bench for the Western Districts of Uttar Pradesh and various aspects of the recommendation made by the State Government.

2. I take this opportunity to inform the House that the Commission has been constituted and will be headed by Shri Jaswant Singh, retired Judge, Supreme Court of India. Shri Prodootor Sriramulu, a retired Judge of Andhra Pradesh High Court and Shri Karam Singh, a retired officer of the Indian Administrative Service will be its Members. The Commission will have its headquarters at New Delhi and will be required to submit its report within six months.

I make an appeal to all concerned to extend full cooperation to the Commission.

श्री जयपाल सिंह कश्यप (ग्रांवला): आपने पश्चिमी जिलों के लिए हाई कोर्ट स्थापित करने का निर्णय सिद्धान्त रूप में ले लिया है या अभी इसे कमीशन पर ही छोड़ दिया है?

श्री पी० शिवशंकर: यह सारा इशू कमीशन के सामने है (व्यवधान)।

MR. DEPUTY-SPEAKER: He wants your co-operation.

12.49 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): With your permission, Sir, I rise to announce that, Government Business in this House during the week commencing 7th September, 1981 will consist of:

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.

2. Discussion and voting on the Supplementary Demands for Grants (General) for 1981-82.

3. Discussion on the Resolution seeking disapproval of the State of Nagaland (Amendment) Ordinance, 1981 and consideration and passing of the State of Nagaland (Amendment) Bill, 1981, as passed by Rajya Sabha.

4. Consideration and passing of the following Bills:—

(a) The Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions (Amendment) Bill, 1981, as passed by Rajya Sabha.